<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 20/2021 दायर दिनांकः 25/06/2021

उनवान

बाबूलाल आयु 62 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति माली निवासी कनोटिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—

वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी।

आदेश दिनाकः 12/03/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कनोटिया तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 105 की ख0नं0 438 रकबा 0.01 है0, ख0न0 440 रकबा 0.15 है0, ख0न0 441 रकबा 0.10 है0, ख0न0 442 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 रकबा 0.36 है0 एवं ग्राम एवं माल कनोटिया की खाता संख्या 106 की ख0न0 449 रकबा 0.91 है0 एवं खाता संख्या 107 का ख0न0 293 रकबा 0.41 है0, ख0न0 446 रकबा 0.12 है0, ख0न0 448 रकबा 0.02 है0, ख0न0 57 रकबा 0.46 है, ख0न0 58/552 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 रकबा 1.08 है0 आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित खाता संख्या 105 की ख0नं0 438 रकबा 0.01 है0, ख0न0 440 रकबा 0.15 है0, ख0न0 441 रकबा 0.10 है0, ख0न0 442 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 रकबा 0.36 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम कालूलाल पुत्र जानक्या दर्ज है। जो गलत नाम है। नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाके ग्राम एवं माल कनोटिया तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 106 की 106 की ख0न0 449 रकबा 0.91 है0 एवं खाता संख्या 107 का ख0न0 293 रकबा 0.41 है0, ख0न0 446 रकबा 0.12 है0, ख0न0 448 रकबा 0.02 है0, ख0न0 57 रकबा 0.46 है,

ख0न0 58/552 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 रकबा 1.08 है0 । जिसमें प्रार्थी का सही नाम बाबूलाल पुत्र जानकीलाल दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। प्रार्थी का राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम बाबूलाल पुत्र जानकीलाल दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का गलत नाम कालूलाल पुत्र जानक्या दर्ज होने की वजह से प्रार्थी को काफी परेशानियों को सामना करना पडता है। तथा सरकार की योजना के लाभ से वंचित होना पड रहा है। इसलिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 105 की कुल किता 4 रकबा 0.36 है में कालूलाल पुत्र जान्क्या जाति माली निवासी कनोटिया के स्थान पर दुरूस्त करवाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 106 की ख0 न0 449 रकबा 0.91 है0 एवं खाता संख्या 107 की कुल किता 5 रकबा 1.08 है व प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित दस्तावेजात के अनुसार बाबूलाल पुत्र जानकीलाल जाति माली निवासी कनोटिया दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता है। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित होने एवं सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय का सन्तुलाल प्रार्थिया के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम कालूलाल पुत्र जानक्या को दुरूस्त कर बाबूलाल पुत्र जानकीलाल दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा साक्ष्यवादी पेश न कर सीधे ही बहस करना चाहा।

3. अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 105 की ख0नं0 438 रकबा 0.01 है0, ख0न0 440 रकबा 0. 15 है0, ख0न0 441 रकबा 0.10 है0, ख0न0 442 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 रकबा 0.36 है0 में

प्रार्थी का नाम कालूलाल पुत्र जानक्या को दुरूस्त कर बाबूलाल पुत्र जानकीलाल दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जावे।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संवत 2072–2075 ग्राम कनोटिया के खाता संख्या 105 की ख0नं0 438 रकबा 0.01 है0, ख0न0 440 रकबा 0.15 है0, ख0न0 441 रकबा 0.10 है0, ख0न0 442 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 रकबा 0.36 है0 आराजी में प्रार्थी का नाम सहखातेदार के रूप में कालुलाल पुत्र जानक्या दर्ज है। खाता संख्या 106 की ख0न0 449 रकबा 0.91 है0 एवं खाता संख्या 107 का ख0न0 293 रकबा 0.41 है0, ख0न0 446 रकबा 0.12 है0, ख0न0 448 रकबा 0.02 है0, ख0न0 57 रकबा 0.46 है, ख0न0 58/552 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 रकबा 1.08 है0 में प्रार्थी का नाम सहखातेदार के रूप में बाबूलाल पुत्र जानकीलाल सही दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड (प्रदर्श–4), बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 42640100003000 (प्रदर्श–5), राशनकार्ड (प्रदर्श–6), मतदाता पहचान पत्र (प्रदर्श–7), शपथ पत्र pw1 एवं pw2 के आधार पर प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र जानकीलाल जाति माली है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 105 की ख0नं0 438 रकबा 0.01 है0, ख0न0 440 रकबा 0.15 है0, ख0न0 441 रकबा 0.10 है0, ख0न0 442 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 रकबा 0.36 है0 में सहखातेदार कालूलाल पुत्र जानक्या के स्थान पर बाबूलाल उर्फ कालूलाल पुत्र जानकीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां